संख्या- 8/2015/854/11-5-2015-218(6)/2015

प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 24 अप्रैल, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 के (आय-व्ययक) अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशियों का निवर्तन पर रखा जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के पत्र संख्या-2/2015/बी-1-925-दस-2015-231/2015 दिनांक 30-03-2015 एवं आपके पत्र संख्या-848/नौ-104/2015, दिनांक 11-04-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में राजस्व लेखा 2030 स्टाम्प पंजीकरण के 03-मुख्यालय मतदेय मद में रु0 256915 हजार (रुपये पच्चीस करोड़ उन्हत्तर लाख पन्द्रह हजार मात्र) तथा भारित मद में रू0 1 हजार (रुपये एक हजार मात्र), एवं 04-जिला व्यय मतदेय मद में रु0 827480 हजार (रुपये बयासी करोड़ चौहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) तथा भारित मद में रूपये 1 हजार (रुपये एक हजार मात्र) कुल धनराशि रु0 1084395 हजार (रुपये एक सौ आठ करोड़ तैतालिस लाख पनचानवे हजार मात्र) तथा भारित मद में कुल रू0 2 हजार (रुपये दो हजार मात्र) तथा राजस्व लेखा 2059-लोक निर्माण कार्य-29 अनुरक्षण मद के अन्तर्गत रु0 25000 हजार (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) जिसका विवरण **संलग्न परिशिष्ट** में विस्तृत रूप से दिया गया है, को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उपरोक्तानुसार धनराशियों को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार /केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-बी0-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय।

(4) व्यय को प्राधिकृत विनियोग की सीमा के भीतर रखे जाने के संबंध में बजट मैनुअल में दिये गये निर्देशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-12-2011 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय इसके साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय व तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2-2015-बी-1-925-दस-2015-231/2015 दिनांक 30-03-2015 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं। इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गई है। अत: उक्त आदेश में निहित निर्देश/प्रक्रिया का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

संख्या - 8/2015/854(1)/11-5-2015 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
7. गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 8/2015/854/11-5-2015-218(6)/2015 दिनांक 24-04-2015 का संलग्नक

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र0सं0	लेखाशीर्षक राजस्व लेखा-2030-स्टाम्प पंजीकरण-03-पंजीकरण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-मुख्यालय	निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का विवरण
1	2	3
1	01-वेतन	80000
2	02-मजदूरी	180
3	03-मंहगाई भत्ता	96000
4	04-यात्रा व्यय	1800
5	05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1000
6	06-अन्य भत्ते	8000
7	07-मानदेय	25
8	08-कार्यालय व्यय	14000
9	09-विद्युत देय	1550
10	10-जलकर/जल प्रभार	1000
11	11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	4000
12	12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3000
13	13-टेलीफोन पर व्यय	3300
14	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	22000
15	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	14000
16	17-किराया, उप शुल्क और कर स्वामित्व	200
17	19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	50
18	23-गुप्त सेवा व्यय	50
19	42-अन्य व्यय (मतदेय)	10
20	42-अन्य व्यय (भारित)	1
21	44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	300
22	45-अवकाश यात्रा व्यय	50
23	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	2000
24	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3000
25	49-चिकित्सा व्यय	1200
26	51-वर्दी व्यय	200
	योग मतदेय	**256915**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	भारित	**1**

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र0सं0	लेखाशीर्षक राजस्व लेखा-2030-स्टाम्प पंजीकरण-03-पंजीकरण-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-जिला व्यय	निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का विवरण
1	**2**	**3**
1	01-वेतन	300000
2	02-मजदूरी	1500
3	03-मंहगाई भत्ता	360000
4	04-यात्रा व्यय	480
5	05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	400
6	06-अन्य भत्ते	30000
7	07-मानदेय	50
8	08-कार्यालय व्यय	47500
9	09-विद्युत देय	12000
10	10-जलकर/जल प्रभार	300
11	11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1800
12	12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	35000
13	13-टेलीफोन पर व्यय	1500
14	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	750
15	17-किराया, उप शुल्क और कर स्वामित्व	13000
16	42-अन्य व्यय (मतदेय)	0
17	42-अन्य व्यय (भारित)	1
18	44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	500
19	45-अवकाश यात्रा व्यय	100
20	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	6000
21	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	14000
22	49-चिकित्सा व्यय	2200
23	51-वर्दी व्यय	400
	योग मतदेय	**827480**
	भारित	**1**
	कुल योग 03 मुख्यालय + 04 जिला व्यय **रूपये 1084395** **(रूपये एक सौ आठ करोड तैतालिस लाख पनचानवे हजार मात्र)**	
	भारित	**2**
	(रूपये दो हजार मात्र)	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(धनराशि हजार में)

लेखाशीर्षक 2059-लोक निर्माण कार्य 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव 29-अनुरक्षण	निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का विवरण 25000
योग	**25000** (रूपये दो करोड पचास लाख मात्र)

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।